<u>प्रकाशन हेतु अनुमोदित</u>

<u>छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर</u>

<u>रिट याचिका (सी) क्रमांक 2633 / 2010</u>

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स महाविद्यालय

सेक्टर-6, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)

विरुद्ध

उत्तरदातागण : राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश घोषणा हेतु दिनांक : 09 अगस्त, 2010 को नियत।

सही /-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सी) क्रमांक 2633 / 2010

याचिकाकर्ता : छत्तीसगढ़ आर्ट्स एंड कॉमर्स महाविद्यालय को,

सेक्टर-6, भिलाई, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

उत्तरदातागण : राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य

संविधान के कंडिका 226 के अंतर्गत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति सतीश के. अग्निहोत्री

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति : श्री सुनील ओटवानी, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता।

श्री पी.के. भादडी, राज्य/उत्तरदाता क्र.1 की ओर से पैनल अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 09 अगस्त, 2010 पर उच्चारित)

सुना गया – याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील ओटवानी एवं राज्य/उत्तरदाता क्र.1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. भादडी । उत्तरदाता क्र.2 की ओर से, उपस्थिति दर्ज

करने के पश्चात भी उसकी ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही किसी ने प्रतिनिधित्व किया।

1. याचिकाकर्ता- महाविद्यालय को "ग़ालिब मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी", दुर्ग नामक समिति द्वारा स्थापित की गई है, जो छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है। याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को उत्तरदाता क्र.2 विश्वविद्यालय से, मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संबद्धदाता प्राप्त है। याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिनांक 30.04.2005 (अनुलग्नक पी/2) के माध्यम से अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में प्रमाणित किया गया है। आक्षेपित आदेश दिनांक 29.05.2010 द्वारा याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र हेतु विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान नहीं की गई। आक्षेपित आदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-2011 के लिए यह कहते हुए अनुमति अस्वीकृत की गई कि याचिकाकर्ता-महाविद्यालय ने महाविद्यालय संहिता की परिनियम परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को का पक्ष यह है कि यह एक अल्पसंख्यक, अशासकीय अनुदानप्राप्त संस्था है, अतः परिनियम 28 के प्रावधान उस पर लागू नहीं होते। परिनियम 28 अल्पसंख्यक संस्थाओं के संविधान प्रदत्त मूल अधिकार—कंडिका 30(1) के तहत शिक्षा संस्थान की स्थापना एवं संचालन के अधिकार—का उल्लंघन करती है अतः उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप — जैसे कि शिक्षकों की नियुक्ति, महाविद्यालय को परिषद् का गठन, सचिव की नियुक्ति, प्रबंधन समिति में रिक्तियों की पूर्ति की प्रक्रिया, संस्था की संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन, उनकी नियुक्ति की

प्रक्रिया, शुल्क निर्धारण, वेतनमान एवं सेवा की अन्य शर्तें, तथा विद्यार्थियों के प्रवेश से संबंधित प्रावधान — अल्पसंख्यक संस्था के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। आक्षेपित आदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2010-11 प्रारंभ करने की अनुमति केवल इस आधार पर अस्वीकृत की गई कि याचिकाकर्ता-महाविद्यालय ने महाविद्यालय संहिता की परिनियम 28 का अनुपालन नहीं किया है, जबकि विधि का स्थापित सिद्धांत यह है कि यह परिनियम अल्पसंख्यक संस्थाओं के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने दिनांक 03.02.2010 को उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर यह अवगत कराया कि यद्यपि महाविद्यालय संहिता की परिनियम 28 अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं होती, फिर भी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो, इसके लिए याचिकाकर्ता उक्त परिनियम 28 का पालन करने के लिए तत्पर है। तत्पश्चात दिनांक 22.03.2010 को एक अन्य पत्र याचिकाकर्ता द्वारा अपने समस्त शिकायतों को दर्शाते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया गया। उत्तरदाता विश्वविद्यालय ने अपने आदेश दिनांक 05.05.2010 के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि दिनांक 12.03.2010 एवं 13.05.2010 को प्रस्तावित साक्षात्कार स्थगित कर दिए गए हैं। तत्पश्चात उत्तरदाता विश्वविद्यालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 29.05.2010 (अनुलग्नक पी/1) पारित किया, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि वह शैक्षणिक सत्र 2010-2011 में विद्यार्थियों को प्रवेश प्रदान कर शैक्षणिक कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता, यद्यपि महाविद्यालय संहिता की परिनियम 28 याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को पर लागू नहीं होती। अतः याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की है –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.1 उत्तरदाता क्रमांक 1 द्वारा दिनांक 29.05.2010 को पारित आक्षेपित आदेश (अनुलग्नक पी/1) को अपास्त करने हेतु परमादेश रिट या अन्य कोई समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

10.2 कंडिका 30 के उल्लंघन के कारण, उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया जाए कि वह महाविद्यालय संहिता की परिनियम 28 (विशेष रूप से भाग-III, भाग-IV, कंडिका 17 से 21, कंडिका 29 तथा भाग-VI, कंडिका 30 से 32) के प्रावधानों को याचिकाकर्ता संस्था पर बाध्यकारी रूप में लागू परमादेश रिट या अन्य कोई समुचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

10.3 उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को यह आदेश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को को शैक्षणिक सत्र 2010-11 के लिए विद्यार्थियों को प्रवेश देने की अनुमति प्रदान करे तथा विद्यार्थियों को वैध प्रवेश मानते हुए उन्हें नामांकन संख्या प्रदान करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता श्री ओटवानी ने निम्नलिखित निर्णयों का अवलंब किया है – (i) फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ एवं अन्य, (ii) टी.एम.ए. पाई फ़ाउंडेशन एवं अन्य बनाम राज्य कर्नाटक एवं अन्य (iii) टी.एम.ए. पाई फ़ाउंडेशन बनाम राज्य कर्नाटक एवं अन्य श्री ओटवानी ने आगे यह भी प्रस्तुत किया कि पाई फ़ाउंडेशन एवं अन्य बनाम राज्य कर्नाटक एवं अन्य, पी.ए. इनामदार एवं अन्य बनाम राज्य महाराष्ट्र एवं अन्य, तथा सेक्रेटरी, मलंक्करा सीरियन कैथोलिक कॉलेज बनाम टी. जोसे एवं अन्य जैसे निर्णयों के साथ-साथ, इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.07.2008, रिट याचिका (सी) क्रमांक 831/2008 (सेंट विन्सेंट पलोटी कॉलेज बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य) तथा रिट याचिका (सी) क्रमांक 2291/2008 (निर्मल वाइस प्रोविन्स ऑफ़ जगदलपुर एवं अन्य बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं

अन्य) में दिए गए आदेशों द्वारा, वर्तमान प्रकरण में उत्पन्न विधिक प्रश्न का पूर्णतः निस्तारण हो चुका है।

4. अधिवक्ता श्री ओटवानी का यह भी तर्क है कि वर्तमान याचिका में इसी प्रकार के तथ्यों के अनुसार जो विधिक प्रश्न शामिल हुआ है। वह उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय की युगलपीठ द्वारा पारित निर्णय इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से लागू होता है।

5. याचिका एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान प्रकरण के तथ्य सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज एवं निर्मल वाइस प्रांत, जगदलपुर एवं एक अन्य के मामलों से समान हैं। यह प्रश्न कि क्या महाविद्यालय संहिता की परिनियम 28 के प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू होते हैं या नहीं उक्त दोनों मामलों में इस न्यायालय की माननीय युगलपीठ द्वारा विचाराधीन था। अतः पुनः विधिक स्थिति का विस्तारपूर्वक परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान याचिका पूर्णतः उपर्युक्त युगलपीठ द्वारा पारित निर्णयों से आच्छादित है। माननीय युगलपीठ ने उपर्युक्त मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित सभी संबंधित निर्णयों (फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल, टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन, पी.ए. इनामदार, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज आदि) का विस्तृत परीक्षण करते हुए, सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज बनाम राज्य छत्तीसगढ़ एवं अन्य में निम्नलिखित निर्णय दिया था, सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज एवं सेंट विंसेंट पल्लोटी कॉलेज एवं निर्मल वाइस प्रांत, जगदलपुर एवं एक अन्य के मामलों में माननीय युगलपीठ ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किया था-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> “18. इसी प्रकार, महाविद्यालय संहिता की परिनियम-28, विशेष रूप से भाग-III, IV, कंडिका 17 से 21, कंडिका 29, भाग-VI तथा कंडिका 30 से 32, जिनमें विश्वविद्यालय के दो प्रतिनिधियों एवं शासन के एक नामांकित सदस्य को महाविद्यालय को की शाषी समिति में नियुक्त करने की प्रक्रिया, महाविद्यालय को

परिषद् का गठन, सचिव की नियुक्ति, शाषी निकाय में रिक्तियों की पूर्ति की प्रक्रिया, बैठकों की अवधि, संस्था की संपत्ति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध, प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति का गठन तथा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, दिशा-निर्देश, शुल्क, वेतनमान एवं सेवा की अन्य शर्तें तथा शिकायत निवारण मंच का निर्धारण, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति की आवश्यकता जैसी व्यवस्थाएँ सम्मिलित हैं — ये सभी एक अशासकीय अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान के अपने मनोनुकूल शैक्षणिक संस्थान की स्थापना एवं संचालन के अधिकार (कंडिका 30(1) के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकार) में गंभीर हस्तक्षेप हैं। अतः इन प्रावधानों को उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय द्वारा कार्यकारिणी परिषद् के संकल्प के आधार पर लागू करना विधिसंगत नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"19. उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय याचिकाकर्ता महाविद्यालय को के विद्यार्थियों के प्रवेश के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, बशर्ते कि प्रवेश की प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा योग्यता का पूर्ण ध्यान रखा गया हो। इसी प्रकार, प्राचार्य एवं शिक्षण स्टाफ की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय न्यूनतम योग्यता, अनुभव एवं अन्य आवश्यक शर्तें निर्धारित कर सकता है, परंतु इस हद तक कि वह संस्था के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुचित हस्तक्षेप न करे।"

"20. इसी प्रकार, याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को जो कि एक गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, उसके मान्यता एवं संबद्धदाता प्राप्तता की शर्तें तो निर्धारित की जा सकती हैं, परंतु शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति, उन पर प्रशासनिक नियंत्रण तथा संस्था के प्रबंधन में हस्तक्षेप अनुमेय नहीं है। यहाँ तक कि कर्मचारियों की शिकायत निवारण की प्रक्रिया के संबंध में भी गैर अनुदान

प्राप्त याचिकाकर्ता संस्था के कर्मचारियों की शिकायत निवारण प्रक्रिया के संबंध में भी उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जैसा कि टी.एम.ए. पाई फाउंडेशन के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है। तथापि, उपयुक्त प्राधिकरण अथवा न्यायाधिकरण की नियुक्ति आवश्यक मानी जा सकती है।"

21. परिणामस्वरूप, याचिका निम्नलिखित शर्तों एवं निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है :

- अनुलग्नक पी-23 के रूप में संलग्न आदेश दिनांक 01.02.2008 को अपास्त किया जाता है, तथा उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता-महाविद्यालय को में शैक्षणिक सत्र 2007-08 के विद्यार्थियों के प्रवेश का पुनर्विचार इस आदेश में व्यक्त विचारों के प्रकाश में करे।
- महाविद्यालय संहिता की परिनियम-28 के भाग-III एवं IV, जिनमें निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं —

  - विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन के प्रतिनिधियों की शासी निकाय में नामांकन की व्यवस्था,
  - शासी निकाय की संरचना एवं कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप,
  - शासी निकाय की बैठकों के नियमन से संबंधित प्रावधान,
  - शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, निलंबन एवं दंड की कार्यवाही हेतु कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति की अनिवार्यता उक्त सभी प्रावधान याचिकाकर्ता संस्था के प्रशासनिक अधिकारों पर अनुचित

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं असंगत प्रतिबंध लगाते हैं।

- परिनियम-28 के कंडिका 17 से 21, जिनमें —
  - प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति के गठन की प्रक्रिया,
  - समिति में कुलपति या उनके नामांकित अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद के प्रतिनिधि,
  - चयन की पद्धति, वेतनमान, एवं विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों तथा प्राचार्य के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है;
- परिनियम-28 के कंडिका 29 में यह प्रावधान किया गया है कि कार्यकारिणी परिषद की स्वीकृति के बिना किसी स्थायी शिक्षक की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती, तथा उसकी समाप्ति की शर्तें भी वही निर्धारित करती है और साथ ही भाग-VI के कंडिका 30, 31 और 32 में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने की जो व्यवस्था दी गई है — वह याचिकाकर्ता संस्था, जो कि मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था है, के प्रशासनिक अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध है, और भारतीय संविधान के कंडिका 30(1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन करती है। अतः, उपर्युक्त प्रावधानों को याचिकाकर्ता संस्था के विरुद्ध लागू नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त प्रावधान याचिकाकर्ता संस्था, जो कि एक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान है, पर उत्तरदाता क्रमांक 2 विश्वविद्यालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. उपर्युक्त तथ्यों एवं विचारों के आलोक में, वर्तमान रिट याचिका पूर्वोक्त शर्तों के समान रूप से स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनांक 29.05.2010 (अनुलग्नक पी/1) को अभिखंडित किया जाता है।

7. व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है।

सही /-

(माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः – हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Prashant Parakh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur